www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 11.01.2017

सीबीआई ने व्यापम से सम्बन्धित अलग-अलग मामलों में दो आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में व्यापम से सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष दण्डाधिकारी की अदालत में दो आरोपियों (उम्मदीवार एवं उसका भाई) के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं एम.पी.आर.ई. अधिनियम, की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस सि□पाही भर्ती परीक्षा-2013 में परनाम धारण द्वारा धोखाधड़ी के आरोप पर मामला दर्ज किया एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत कम्पू पुलिस स्टेशन, ग्वालियर में पहले से ही दर्ज मामले की जॉंच को अपने हाथों में लिया। मामला हाथों में लेने के समय से ही उम्मदवार एम.पी. पुलिस के रिकार्ड में फरार दर्ज थे। सीबीआई जॉंच के दौरान, उम्मीदवार का पता चला। जाँच से खुलासा हुआ कि उम्मीदवार ने अपने भाई के साथ आपराधिक षड़यंत्र में कथित रूप से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2013 की लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर अपने भाई को परनाम धारण के द्वारा उपस्थित कराकर व्यापम के साथ धोखाधड़ी की।

एक अन्य मामले में, सीबीआई ने ग्वालियर में व्यापम से सम्बन्धित मामले के सन्दर्भ में विशेष दण्डाधिकारी की अदालत में एक आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं एम.पी.आर.ई. अधिनियम की धारा ¾ के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस सि□पाही भर्ती परीक्षण परीक्षा-2013 में मोबाइल फोन के प्रयोग द्वारा धोखाधड़ी के आरोपो पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जनकगंज पुलिस स्टेशन, ग्वालियर (मध्य प्रदेश में आई.टी. अधिनियम की धारा 66-डी एवं एम.पी.आर.ई. अधिनियम की धारा ¾ के तहत पूर्व में दर्ज उक्त मामले की जॉंच को अपने हाथों में लिया। राज्य पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध एम.पी.आर.ई. अधिनियम की धारा ¾ के तहत आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई जॉंच के दौरान ठोस प्रमाण एकत्र किये गये और यह सिद्व हुआ कि आरोपियों ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र में आगे कथित रूप से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2013 के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग कर व्यापम के साथ धोखाधडी की। यही भी पाया गया कि अन्य आरोपी व्यक्ति मौजूद नही था। तदानुरूप, एक आरोपी के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र लगाये गए।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉंच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****